अध्याय-IV: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां पंजीयन अधिनियम 1908, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर आरोपणीय है तथा दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय है। 9 मार्च 2011 से मुद्रांक कर पर सरचार्ज भी प्रभार्य है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग) वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। अतिरिक्त महानिरीक्षक मुख्यालय पर पदेन अधीक्षक (मुद्रांक) होते हैं तथा प्रशासनिक मामलों में महानिरीक्षक की सहायता करते हैं जबकि वित्तीय सलाहकार वित्तीय मामलों में महानिरीक्षक की सहायता करते हैं। पूरे राज्य को 17 वृत्तों[1] में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख उप महानिरीक्षक सह पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) होते हैं। कुल 604 उप-पंजीयक कार्यालयों में से 113 पूर्णकालिक उप-पंजीयक कार्यालयों का नेतृत्व उप-पंजीयक करते हैं तथा 491 कार्यालयों का नेतृत्व भू-राजस्व विभाग के अधीन पदेन क्षमता में कार्यरत तहसीलदार या नायब तहसीलदार करते हैं।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ[2] (19 प्रशासनिक इकाईयों सहित) हैं। इनमें से, लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच हेतु 33 इकाईयों (1 प्रशासनिक इकाई सहित) का चयन किया। इन इकाईयों में 4,87,447 दस्तावेज पंजीबद्ध थे, जिनमें से 1,78,892 दस्तावेज (लगभग 36.70 प्रतिशत) विस्तृत जाँच हेतु चयनित किए गए। संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने 942 दस्तावेजों (नमूना दस्तावेजों का लगभग 0.53 प्रतिशत) में ₹ 15.68 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति/अप्राप्ति पाई।

ये प्रकरण अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं और केवल उदाहरण मात्र हैं। यद्यपि, समान प्रकृति की त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, ये अनियमिततायें बनी रहीं तथा आगामी लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायीं। देखी गयी अनियमिततायें मुख्यतः नीचे **तालिका 4.1** में दी गई श्रेणियों में आती हैं:

---

1 उप महानिरीक्षक, अजमेर, अलवर-I, II, बाँसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर-I, II, III, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर तथा उदयपुर।

2 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ: कुल 604 उप-पंजीयक कार्यालयों में से 540 उप पंजीयक कार्यालय (पंजीयन प्राधिकारी) राजस्व प्राप्ति में शामिल थे। शेष 64 उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीकरण का काम शुरू नहीं हुआ था/वे राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं थे क्योंकि ये नए खुले थे। इस प्रकार, 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में 540 उप पंजीयक कार्यालय तथा 19 प्रशासनिक इकाईयाँ शामिल हैं।

तालिका 4.1: श्रेणीवार अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	संपत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	209	3.77
2.	मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	298	10.38
3.	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) आय	432	1.53
	(ii) व्यय	03	0
कुल		**942**	**15.68**

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग द्वारा 1115 प्रकरणों में राशि ₹ 29.41 करोड़ के अवमूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिसमें से ₹ 13.25 करोड़ के 727 प्रकरण वर्ष 2022-23 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों के बताये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 395 प्रकरणों में राशि ₹ 6.28 करोड़ वसूल की गयी, जिसमें से राशि ₹ 0.04 करोड़ के 7 प्रकरण वर्ष 2022-23 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

उदाहरणात्मक राशि ₹ 3.86 करोड़ के कुछ प्रकरणों का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मुद्दे पूर्व में भी उठाये जा चुके हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा कार्यवाही/वसूली आरम्भ की गयी। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग द्वारा मात्र उन्हीं प्रकरणों में कार्यवाही की गयी जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे तथा विभाग ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

4.3 साझेदारी में परिवर्तन पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 43(3)(क) के अनुसार, जहाँ साझेदारी अचल सम्पत्ति की धारक होती है तथा सेवानिवृत्त होने वाला साझेदार सेवानिवृत्ति के समय कोई सम्पत्ति लेकर नहीं जाता है तो साझेदारी की अचल सम्पत्ति में से सेवानिवृत्त हुए साझेदार अथवा साझेदारों के हिस्से के बराबर भाग पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेयन्स की दर से प्रभार्य होगा।

तीन उप पंजीयकों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2022 एवं जनवरी 2023 के मध्य)

3 उप पंजीयकः बहरोड़ (अलवर), भरतपुर तथा जयपुर-IX।

के दौरान पाया गया कि अचल संपत्ति के तीन दस्तावेज[4] उप पंजीयकों के पास पंजीकृत[5] थे। लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियां निम्न प्रकार हैं:

4.3.1 उप पंजीयक बहरोड़ के प्रकरण में, एक साझेदारी फर्म[6], जिसके पास एक आवासीय भूमि[7] थी, ने भूमि पर निर्मित एक अपार्टमेंट की बिक्री के लिए एक विक्रय अनुबंध पंजीकृत (14 अगस्त 2019) करवाया। फर्म की साझेदारी में परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जयपुर से प्राप्त जानकारी को रेरा वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के साथ मिलान करने पर यह पाया गया कि फर्म का एक साझेदार[8] 2 दिसंबर 2016 को फर्म से सेवानिवृत्त हो गया एवं उसने साझेदारी विलेख (केवल ₹ 500 के मुद्रांक पर) के अनुसार फर्म के अन्य जारी साझेदारों को अपना 5 प्रतिशत हिस्सा हस्तांतरित कर दिया। एक अन्य साझेदार[9] के सेवानिवृत्त होने के कारण साझेदारी विलेख को 19 मई 2019 (केवल ₹ 2400 के मुद्रांक पर) को अग्रेतर संशोधित किया गया, जिससे उसने अपना 73 प्रतिशत हिस्सा फर्म के अन्य जारी साझेदारों को हस्तांतरित कर दिया।

इस प्रकार, अन्य साझेदारों की सेवानिवृत्ति के कारण अचल सम्पत्ति में कुल 78 प्रतिशत हिस्सा फर्म के विद्यमान दो साझेदारों को हस्तान्तरित हो गया जिस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 43(3)(क) के अनुसार कन्वैयन्स की दर से हस्तांतरित हिस्से पर मुद्रांक कर देय था।

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 93.46 लाख[10] का कम आरोपण हुआ जो हस्तांतरित शेयर के बाजार मूल्य ₹ 15.58 करोड़[11] पर देय था।

4.3.2 उप पंजीयक भरतपुर के प्रकरण में, एक साझेदारी फर्म[12], जिसके पास एक व्यावसायिक भूमि[13] थी, ने साझेदारी फर्म के साझेदारों के शेयर अनुपात में बदलाव के लिए एक

---

4 उप पंजीयक बहरोड़ (अलवर) में बिना कब्जे के विक्रय अनुबंध, उप पंजीयक भरतपुर में पट्टा विलेख (किराया विलेख) तथा उप पंजीयक जयपुर-IX में संशोधित पट्टा विलेख।

5 उप पंजीयक बहरोड़ (अलवर) में दस्तावेज़ संख्या 2046/14.08.2019, उप पंजीयक भरतपुर में 4826/13.09.2021 तथा उप पंजीयक जयपुर-IX में 5300/27.08.2021

6 मैसर्स राधा कृष्ण बिल्डटेक, जयपुर। यह पंजीकरण संख्या RAJ/P/2017/224 के साथ रेरा में भी पंजीकृत था।

7 गांव दुघेड़ा, तहसील बहरोड़ (अलवर) में स्थित 30143.78 वर्ग मीटर।

8 श्री प्रीतम चैडवाल।

9 मैसर्स राधा कृष्ण बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड।

10 ₹ 93.46 लाखः मुद्रांक कर ₹ 77.89 लाख तथा सरचार्ज ₹ 15.57 लाख।

11 पाँच प्रतिशत शेयर का बाजार मूल्य = (1801.92 वर्ग गज x ₹ 4,980/- प्रति वर्ग गज) = ₹ 89,73,562 तथा 73 प्रतिशत शेयर का बाजार मूल्य = (26308.14 वर्ग गज x ₹ 5,580/- प्रति वर्ग गज) = ₹ 14,67,99,421/- इस प्रकार 78 प्रतिशत शेयर का कुल बाजार मूल्य = (₹ 89,73,562 + ₹ 14,67,99,421) = ₹ 15,57,72,983/- अथवा ₹ 15.58 करोड़।

12 मैसर्स अनुपम प्रॉपर्टीज़, जयपुर।

13 पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने, एसपी कार्यालय के पास, कुंडा, भरतपुर में स्थित 1966.68 वर्ग गज (17700.12 वर्ग फीट) व्यावसायिक भूमि।

पट्टा विलेख (किरायानामा विलेख) प्रस्तुत किया (13 सितम्बर 2021), रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, जयपुर ने आवश्यक दस्तावेज[14] उपलब्ध करवाये। इन दस्तावेजों के विश्लेषण पर यह पाया गया कि इसकी साझेदारी में तीन बार[15] संशोधन किया गया था, जिसमें संपत्ति का हिस्सा (संचयी रूप से स्वामित्व में 100 प्रतिशत परिवर्तन) जारी साझेदारों को हस्तांतरित किया गया था, जिस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 43 (3) (क) के अनुसार मुद्रांक कर एवं सरचार्ज कन्वैयन्स के रूप में देय थे।

उप पंजीयक ने पट्टा विलेख के पंजीकरण के समय साझेदारी में परिवर्तन के तथ्यों पर विचार नहीं किया, जिस पर हस्तांतरित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 15.47 करोड़[16] पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 1.21 करोड़[17] वसूल किया जाना था तथा केवल पंजीकरण के लिए प्रस्तुत पट्टा विलेख के दस्तावेज़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 1.65 लाख[18] वसूल किए। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 1.19 करोड़ की कम वसूली हुई (वसूली योग्य ₹ 1.21 करोड़ - वसूले गए ₹ 1.65 लाख)।

4.3.3 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2018 के अनुसार, साझेदारी के दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर ₹ 500 होगा, यदि साझेदारी दादा, दादी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पति और पत्नी के मध्य हो।

उप पंजीयक जयपुर-IX के प्रकरण में, एक औद्योगिक भूमि[19] के लिए पट्टादाता[20] एवं पट्टेदार[21] के मध्य एक संशोधित पट्टा विलेख 7 जुलाई 2021 को निष्पादित किया गया था। दस्तावेज़ के विवरण की जांच करने पर यह पाया गया कि पट्टेदार एक साझेदारी फर्म थी जिसे शुरू में (1 अप्रैल 2006) तीन समान साझेदारों[22] के साथ गठित किया गया था तथा बाद में साझेदारी को संशोधित (1 अप्रैल 2020) किया गया जिसके कारण संशोधित पट्टा विलेख निष्पादित किया गया तथा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया।

---

14 दस्तावेज यथा साझेदारी विलेख तथा अनुवर्ती संशोधित साझेदारी विलेख।

15 23 दिसंबर 2020, 19 फरवरी 2021 तथा 30 जुलाई 2021 को। संचयी रूप से, स्वामित्व में 100 प्रतिशत परिवर्तन (23 दिसंबर 2020 को 80 प्रतिशत + 19 फरवरी 2021 को 10 प्रतिशत + 30 जुलाई 2021 को 10 प्रतिशत)।

16 ₹ 15.47 करोड़: 80 प्रतिशत के लिए बाजार मूल्य (14160.09 वर्गफीट x ₹ 8,826/- प्रति वर्गफीट) = ₹ 12,49,76,954/- +10 प्रतिशत के लिए (1770.01 वर्गफीट x ₹ 8,826/- प्रति वर्गफीट) = ₹ 1,56,22,108/- + 10 प्रतिशत के लिए (1770.01 वर्ग फीट x ₹ 7,943/- प्रति वर्ग फीट) = 1,40,59,189/- इस प्रकार 100 प्रतिशत हिस्से का कुल बाजार मूल्य = (12,49,76,954 + ₹ 1,56,22,108 + ₹ 1,40,59,189) = ₹ 15,46,58,251/- अर्थात ₹ 15.47 करोड़।

17 ₹ 1.21 करोड़: (₹ 97.48 लाख + ₹ 12.18 लाख + ₹ 10.97 लाख)।

18 ₹ 1.65 लाख: मुद्रांक कर ₹ 1.10 लाख, सरचार्ज ₹ 0.33 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.22 लाख।

19 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित 4431 वर्ग मीटर का प्लॉट संख्या बी-304

20 पट्टादाता: रीको विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

21 पट्टेदार: मैसर्स लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, जयपुर।

22 हरीश चावला पुत्र दौलतराम (33.34 प्रतिशत), ब्रजमोहन चावला पुत्र दौलतराम (33.33 प्रतिशत) तथा युधीष्टर चावला पुत्र दौलतराम (33.33 प्रतिशत)।

संशोधित साझेदारी विलेख में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, दो साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त[23] हुए थे तथा एक नया साझेदार[24] फर्म में शामिल हुआ था। दो पूर्व साझेदारों की सेवानिवृत्ति के कारण फर्म की अचल संपत्ति का कुल 66.67 प्रतिशत हिस्सा[25] शेष[26] एक तथा एक नये[27] साझेदार के पक्ष में संशोधित पट्टा विलेख के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। इसमें से 17.67 प्रतिशत[28] हिस्सा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2018 में उल्लेखित रिश्तेदार (भाई[29]) को हस्तांतरित किया गया था तथा इसलिए इस हिस्से पर कम दरों से मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क वसूली योग्य था। अचल संपत्ति का शेष 49 प्रतिशत[30] हिस्सा अन्य (भतीजे) को हस्तांतरित किया गया था जोकि उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित रिश्तों के अन्तर्गत नहीं आता था एवं इसलिए राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसुची के अनुच्छेद 43(3)(क) के अनुसार कन्वैयन्स पर देय मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क के साथ प्रभार्य था। इस प्रकार, हस्तांतरित संपत्ति के 49 प्रतिशत हिस्से के बाजार मूल्य ₹ 1.48 करोड़[31] पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12.99 लाख[32] प्रभार्य था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उप पंजीयक ने संपूर्ण हस्तांतरण को उक्त अधिसूचना में उल्लेखित रिश्तेदारों के लिए मानकर इसे पूरक विलेख के रूप में वर्गीकृत किया तथा मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क के रूप में केवल ₹ 850[33] वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12.98 लाख[34] कम वसूला गया।

इन तीन प्रकरणों में मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.25 करोड़[35] कम वसूला गया।

---

23 हरीश चावला पुत्र दौलतराम तथा युधीष्टर चावला पुत्र दौलतराम।

24 मोहित चावला पुत्र ब्रजमोहन चावला (49 प्रतिशत)।

25 66.67 प्रतिशत हिस्साः हरीश चावला पुत्र दौलतराम का 33.34 प्रतिशत हिस्सा तथा युधीष्टर चावला पुत्र दौलतराम का 33.33 प्रतिशत।

26 ब्रजमोहन चावला पुत्र दौलतराम।

27 मोहित चावला पुत्र ब्रजमोहन चावला।

28 17.67 प्रतिशतः (33.34 प्रतिशत + 33.33 प्रतिशत – 49 प्रतिशत)।

29 ब्रजमोहन चावला पुत्र दौलतराम।

30 49 प्रतिशत हिस्साः मोहित चावला (भतीजा) को हस्तान्तरित।

31 ₹ 1.48 करोड़ः ₹ 3.01 करोड़ का 49 प्रतिशत (भूमि मूल्य ₹ 1,99,39,500 (4431 वर्गमीटर x ₹ 4,500 प्रति वर्गमीटर), टिनशेड ₹ 87,01,620 (2900.54 वर्गमीटर x ₹ 3,000 प्रति वर्गमीटर) तथा निर्माण ₹ 14,84,232 (1236.86 x ₹ 1,200/- प्रति वर्ग फीट)। कुल बाजार मूल्य= ₹ 3,01,25,352/- (₹ 1,99,39,500 + ₹ 87,01,620+ ₹ 14,84,232) अथवा ₹ 3.01 करोड़.।

32 ₹ 12.99 लाखः मुद्रांक कर ₹ 8.86 लाख, सरचार्ज ₹ 2.66 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.47 लाख।

33 ₹ 850ः मुद्रांक कर ₹ 500, सरचार्ज ₹ 150 तथा पंजीयन शुल्क ₹ 200

34 ₹ 12.98 लाखः मुद्रांक कर ₹ 8.85 लाख, सरचार्ज ₹ 2.66 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.47 लाख।

35 ₹ 2.25 करोड़ः ₹ 0.93 करोड़ + ₹ 1.19 करोड़ + ₹ 0.13 करोड़।

प्रकरण राज्य सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि उप पंजीयक जयपुर-IX के एक दस्तावेज में आक्षेपित राशि ₹ 12.98 लाख (अनुच्छेद 4.3.3 में) के समक्ष ₹ 12.99 लाख वसूल कर ली गई है तथा शेष दो प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) के पास विचाराधीन हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

4.4 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर में अनियमित छूट

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (योजना) 2019 के खण्ड 3.1 के अनुसार, यह योजना नई ईकाइयाँ स्थापित करने के लिए निवेश करने वाले नए तथा मौजूदा उद्यमों और विस्तार हेतु निवेश करने वाले मौजूदा उद्यमों पर लागू होगी, बशर्ते कि उद्यम योजना की परिचालन अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू कर दे। इसके अलावा, योजना के खण्ड 3.2 के अनुसार, मुद्रांक कर में छूट उद्यम की किसी इकाई के लिए लागू नहीं होगी, यदि उसका वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन, पात्रता प्रमाण पत्र[36] जारी होने से पहले शुरू हो गया है। योजना के खण्ड 4 में प्रावधान है कि जिस उद्यम को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह भूमि की खरीद या पट्टे/उप-पट्टे और ऐसी भूमि पर निर्माण या सुधार के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर में 100 प्रतिशत छूट का दावा करने के लिए पात्र होगा। अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2022 द्वारा मुद्रांक कर में छूट की सीमा 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दी गई। इसके अलावा, खंड 17 में यह प्रावधान है कि योजना की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में उपयुक्त स्क्रीनिंग समिति द्वारा योजना के तहत प्राप्त लाभ वापस ले लिया जावेगा तथा इसकी सिफारिशों पर संबंधित विभाग, उद्यम द्वारा प्राप्त किये गये लाभों को उस तिथि से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूल करेगा, जिस तिथि से लाभ प्राप्त किया गया है।

चार पंजीयक कार्यालयों[37] के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2023 एवं मार्च 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि योजना के तहत मुद्रांक कर में 100/75 प्रतिशत छूट के साथ, पांच दस्तावेज[38] पंजीबद्ध (नवंबर 2020 एवं अगस्त 2022 के मध्य) किये गये थे, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

4.4.1 उप-पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम तथा नीमराणा (अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित तीन औद्योगिक भूखंडों[39] के लिए तीन पट्टा विलेख राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास

36 योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के तहत जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी किया गया।

37 भीलवाड़ा, जयपुर-द्वितीय, नीमराणा तथा पाली-प्रथम।

38 उप पंजीयक भीलवाड़ा एवं जयपुर-द्वितीय प्रत्येक में एक-एक पट्टा विलेख, उप पंजीयक नीमराणा में दो पट्टा विलेख तथा उप पंजीयक पाली-प्रथम में एक विक्रय विलेख।

39 नंबर पी-27, रीको एस्टेट, भीलवाड़ा 469.19 वर्गमीटर, एफ-320 रीको घिलोठ, नीमराना 1287 वर्गमीटर तथा एच1-34 रीको कोलीला जोगा, नीमराणा 416 वर्ग मीटर।

एवं निवेश निगम (रीको) लिमिटेड, जयपुर (पट्टादाता)[40] तथा पट्टेदारों[41] के मध्य पंजीकृत[42] (नवंबर 2020 एवं सितंबर 2021 के मध्य) किए गए जिनका मूल्य ₹ 2.84 करोड़[43] था जोकि पट्टेदारों द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदे गये थे। योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र, भीलवाड़ा तथा अलवर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति पर पट्टा विलेख के पंजीयन के समय मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट ₹ 22.23 लाख[44] दी गई। यद्यपि, पट्टेदारों ने इन औद्योगिक भूखंडों को इकाईयां स्थापित किए बिना ही विक्रय (अगस्त 2022 एवं मार्च 2023 के मध्य) कर दिया। इसलिए, पट्टेधारकों से मुद्रांक कर तथा सरचार्ज छूट की राशि ₹ 22.23 लाख, ब्याज राशि ₹ 8.87 लाख[45] के साथ वसूलनीय थी।

4.4.2 उप पंजीयक, जयपुर-II में रीको, सीतापुरा, जयपुर (पट्टादाता) एवं एक कंपनी (पट्टेदार)[46] के मध्य रीको प्रहलादपुरा, जयपुर में स्थित एक औद्योगिक भूखंड[47] के लिए एक पट्टा विलेख पंजीकृत[48] (जुलाई 2021) किया गया, जोकि पट्टेदार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदा गया था। सबमर्सिबल पंप एवं पैनल के निर्माण के लिए औद्योगिक इकाई स्थापित करने की योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पट्टा विलेख के पंजीयन के समय मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट राशि ₹ 74.21 लाख[49] प्रदान की गई थी। इसके अलावा, पट्टेदार के अनुरोध पर, रीको ने भूखंड को चार भागों में उप विभाजित किया। तत्पश्चात्, पट्टेदार ने सभी चार उपविभाजित औद्योगिक भूखंडों को इकाई स्थापित किए बिना ही क्रेता फर्मों[50] को बेच दिया तथा विक्रय विलेखों[51] के पंजीयन के समय क्रेता फर्मों को पुनः 75 प्रतिशत की छूट

---

40 पट्टादाताः रीको भीलवाड़ा तथा नीमराना।

41 पट्टेदारः उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम में मैसर्स जितेन्द्र एंटरप्राइजेज, भीलवाड़ा तथा मैसर्स उमंग एंटरप्राइजेज, हरियाणा एवं मैसर्स राजस्थान एंटरप्राइजेज, नीमराणा (दोनों उप पंजीयक नीमराणा में)।

42 दस्तावेज पंजीकरण संख्या 13415/ 04.11.2020, 2204/ 23.09.2021 तथा 801/ 27.03.2021

43 ₹ 2.84 करोड़ः ₹ 1.27 करोड़ (उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम) तथा ₹ 1.57 करोड़ (उप पंजीयक नीमराना)।

44 ₹ 22.23 लाखः मुद्रांक कर ₹ 7.66 लाख तथा सरचार्ज ₹ 2.30 लाख (उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम में) तथा मुद्रांक कर ₹ 9.44 लाख तथा सरचार्ज ₹ 2.83 लाख (उप पंजीयक नीमराणा में)।

45 ₹ 8.87 लाख : उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम में ₹ 5.38 लाख तथा उप पंजीयक नीमराना में ₹ 3.49 लाख।

46 मैसर्स मिलबोर्न स्विचगियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।

47 प्लॉट संख्या ए-181, क्षेत्रफल 9411 वर्गमीटर, मूल्य ₹ 9.51 करोड़ (नीलामी मूल्य ₹10,110 प्रति वर्गमीटर पर)।

48 दस्तावेज़ पंजीकरण संख्या 5901/20.07.2021

49 ₹ 74.21 लाखः मुद्रांक कर ₹ 57.09 लाख तथा सरचार्ज ₹ 17.12 लाख।

50 मैसर्स सेंचुरी ओवरसीज जयपुर, मैसर्स ओशियन एंटरप्राइजेज जयपुर, मैसर्स फाइन पेपर बोर्ड इंडस्ट्रीज जयपुर तथा मैसर्स ओशियन इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर।

51 दस्तावेज़ संख्या 4385/ 05.04.2022, 4386/ 05.04.2022, 4890/ 20.04.2022 तथा 4936/ 20.04.2022।

दे दी गई। इसलिए, पट्टेदार से मुद्रांक कर एवं सरचार्ज की छूट राशि ₹ 74.21 लाख[52] ब्याज राशि ₹ 22.69 लाख के साथ वसूलनीय थी।

4.4.3 उप पंजीयक, पाली-I में, यह पाया गया कि एक औद्योगिक भूखंड[53] के लिए विक्रय विलेख[54] पंजीबद्ध (26 अगस्त 2022) किया गया था, जिस पर जिला उद्योग केंद्र, पाली द्वारा जारी (दिनांक 10.08.2022) पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर रिप्स 2019 के तहत मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 75 प्रतिशत की छूट राशि ₹ 8.42 लाख[55] दी गई थी। विक्रय विलेख की जांच से पता चला कि पंजीयन के समय औद्योगिक इकाई पहले से ही चालू थी जिसका तात्पर्य था कि रिप्स 2019 के खण्ड 3.2 के अनुसार छूट प्रदान नहीं की जानी चाहिए थी। उप पंजीयक नें छूट देने से पहले विक्रय विलेख की ठीक से जांच नहीं की। इसलिए, मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में अनियमित छूट राशि ₹ 8.42 लाख ब्याज राशि ₹ 0.90 लाख के साथ वसूलनीय थी।

इस प्रकार इन सभी प्रकरणों में मुद्रांक कर तथा सरचार्ज कुल राशि ₹ 1.05 करोड़[56] तथा ब्याज राशि ₹ 0.32 करोड़[57] वसूलनीय थी।

प्रकरण राज्य सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि उप पंजीयक, नीमराणा के एक दस्तावेज में ₹ 2.11 लाख की पूरी राशि वसूल कर ली गई है एवं उप पंजीयक, भीलवाड़ा-I, जयपुर-II तथा नीमराणा के तीन प्रकरण संबंधित कलेक्टर (मुद्रांक) के यहाँ विचाराधीन हैं तथा उप पंजीयक, पाली-I के शेष एक दस्तावेज में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण का निर्णय किये जाने के पश्चात वसूली शेष है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

4.5 विकासकर्ता अनुबंध के गलत वर्गीकरण पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 5(ई) के अनुसार, मुद्रांक कर उस अनुबन्ध पर देय है जो किसी प्रोत्साहक या विकासकर्ता को किसी अचल संपत्ति पर निर्माण के लिए अधिकार या शक्ति देता है। भुगतान किये जाने वाले कर की दर संपत्ति के बाजार मूल्य पर स्वामी के हिस्से पर एक प्रतिशत तथा विकासकर्ता के हिस्से पर डेढ़ प्रतिशत है।

52 ₹ 74.21 लाखः मुद्रांक कर ₹ 57.09 लाख तथा सरचार्ज ₹ 17.12 लाख।

53 मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली में स्थित 3400 वर्ग मीटर का प्लॉट ई-112

54 दस्तावेज़ पंजीकरण संख्या 8703 दिनांक 26.08.2022

55 ₹ 8.42 लाखः मुद्रांक कर ₹ 6.48 लाख तथा सरचार्ज ₹ 1.94 लाख।

56 ₹ 1.05 करोड़ः ₹ 22.23 लाख + ₹ 74.21 लाख + ₹ 8.42 लाख।

57 ₹ 0.32 करोड़ः ₹ 8.87 लाख + ₹ 22.69 लाख + ₹ 0.90 लाख।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने पंजीयन प्राधिकारियों को लोक कार्यालयों[58] के भौतिक अभिलेखों के साथ-साथ लोक कार्यालयों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध अमुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये (जुलाई 2021)।

उप पंजीयक, जयपुर-V के पंजीयन अभिलेखों तथा राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की वेबसाइट पर उपलब्ध अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि एक भू-स्वामी फर्म[59] जो पाँच साझेदारों[60] वाली एक साझेदारी फर्म थी, के पास एक वाणिज्यिक परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से एक वाणिज्यिक भूखंड[61] का स्वामित्व था। फर्म में एक छठे साझेदार[62] को एक विकासकर्ता के रूप में शामिल किया गया एवं तदनुसार, 27 जून 2022 को नए साझेदार के प्रवेश के लिए साझेदारी विलेख के माध्यम से फर्म की साझेदारी को संशोधित किया गया, जिसमें भू-स्वामी (साझेदारी फर्म) तथा विकासकर्ता (छठे भागीदार) के शेयरों को क्रमशः 58 प्रतिशत और 42 प्रतिशत के रूप में नामित किया गया।

अग्रेतर, जांच में पता चला कि संशोधित साझेदारी विलेख को 28 जून 2022 को नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया था तथा मुद्रांक कर एवं सरचार्ज के रूप में मात्र ₹ 650[63] का भुगतान किया गया था। तथापि, यह दस्तावेज़ संशोधित साझेदारी विलेख नहीं था बल्कि एक विकासकर्ता अनुबन्ध था, क्योंकि इसमें मूल साझेदारी फर्म (भू-स्वामी) तथा नए साझेदार (विकासकर्ता) के मध्य भूमि पर एक वाणिज्यिक परियोजना विकसित करने के लिए एक अनुबन्ध था। वाणिज्यिक दर से निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 15.57 करोड़[64] पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 24.50 लाख[65] देय था। मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क से बचने के लिए, फर्म ने इस विलेख को पंजीयन प्राधिकारियों के समक्ष पंजीबद्ध नहीं करवाया। रेरा वेबसाइट पर डिजिटल रूप से उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण करने में पंजीयन प्राधिकारियों की

58 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 1997 के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सभी कार्यालय, निगम, सभी स्थानीय निकाय, सभी पंजीकृत संस्थाएं एवं सहकारी समितियां, सभी निगमित एवं अनिगमित कम्पनियों के कार्यालय तथा नोटरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्तों के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया गया है।

59 मैसर्स सुखानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जयपुर।

60 मैसर्स मैनहट्टन कंस्ट्रक्शन्स एलएलपी, मैसर्स तुलसन कंस्ट्रक्शन एलएलपी, मैसर्स सुखानी बिल्डकॉम एलएलपी, मैसर्स फूल प्रॉपर्टीज एलएलपी तथा मैसर्स गगन बिल्डकॉन एलएलपी।

61 एसबी 56, बापू नगर, मेन टोंक रोड, जयपुर, जिसका क्षेत्रफल 1022.50 वर्ग मीटर है।

62 श्री नितेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री शम्भू दयाल अग्रवाल, निवासी जयपुर।

63 ₹ 650: मुद्रांक कर ₹ 500 तथा सरचार्ज ₹ 150

64 ₹ 15.57 करोड़: 1022.50 वर्गमीटर x ₹ 1,52,317 प्रति वर्गमीटर = ₹ 15,57,44,133 अथवा ₹ 15.57 करोड़।

65 ₹ 24.50 लाख: मुद्रांक कर ₹ 18.85 लाख (विकासकर्ता के हिस्से पर ₹ 9,81,188: ₹ 15,57,44,133 के 42 प्रतिशत का डेढ़ प्रतिशत + भूस्वामियों के हिस्से पर ₹ 9,03,316: ₹ 15,57,44,133 के 58 प्रतिशत का एक प्रतिशत) तथा सरचार्ज ₹ 5.65 लाख (मुद्रांक कर का 30 प्रतिशत)।

विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 24.49 लाख[66] का कम आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज़ पंजीबद्ध होता तो विभाग को पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 15.57 लाख अतिरिक्त प्राप्त होते।

प्रकरण राज्य सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) के यहाँ विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

66 ₹ 24.49 लाखः मुद्रांक कर ₹ 18.84 लाख तथा सरचार्ज ₹ 5.65 लाख।

अध्याय-V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में कुल 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ (54 कार्यान्वयन इकाइयों समेत) हैं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए 32 इकाइयों (20 कार्यान्वयन इकाइयों सहित) का चयन किया गया। इन इकाइयों के अभिलेखों, जिनमे 4,925 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 5,952 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित है, की संवीक्षा 11,646 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। लेखापरीक्षा में 6,797 प्रकरणों में (लगभग 58 प्रतिशत) राशि ₹ 512.38 करोड़ के आबकारी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क, अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली, प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जाँच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी। तथापि, ये अनियमितताएं न केवल बनी रहीं अपितु इनमें से कुछ आगामी लेखापरीक्षा होने तक पहचानी नहीं जा सकी।

पायी गई अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गयी **तालिका 5.1** में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क और अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली /कम वसूली।	4,693	500.87
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली	254	5.89
3	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि।	07	0.10
4	विलंब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली।	354	5.52
5	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) राजस्व	1,489	0.00
	(ii) व्यय	0	0.00
योग		**6,797**	**512.38**

विभाग ने 6,197 प्रकरणों में निहित राशि ₹502.28 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 499.73 करोड़ के 5,030 प्रकरण वर्ष 2022-23 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों

में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 1,178 प्रकरणों में ₹ 2.68 करोड़ की राशि वसूली की गई, जिनमें से ₹ 0.15 करोड़ के 13 प्रकरण वर्ष 2022-23 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (सितंबर 2023) तथा जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक ब्रेवरी पर अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली से संबंधित एक प्रकरण में ₹ 20 लाख की राशि को पूर्ण रूप से वसूल किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्वीकार किया (मई 2024) तथा बीयर की थोक बिक्री के अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली से संबंधित दो प्रकरणों (जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ से संबंधित) में ₹ 14.00 लाख की राशि को पूर्ण रूप से वसूल किया। इस प्रतिवेदन में इन अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं की गई है।

विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों में पाये गये ₹ 247.72 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है । यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की । तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ नहीं किया जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई ।

5.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2017-19 से 2020-21 के अनुसार, 2020-21 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर (बीएल) की दर से और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 10 प्रति बीएल की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों से लिया जाना था जिन्होंने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ली गई मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर का उठाव न्यूनतम 10 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया था । यह प्रावधान 2019-20 तक रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों पर भी लागू था, तथापि, 2020-21 की नीति में रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों के लिए उठाव वृद्धि की यह सीमा संशोधित कर 5 प्रतिशत कर दी गई । इसके बाद, कोविड महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने (जुलाई 2020) इस प्रावधान में यह छूट दी कि यदि पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत तक कम मदिरा उठाई गई हो, तो रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों से कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा ।

इसके अलावा, आबकारी आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए (फरवरी 2020) कि प्रत्येक तिमाही के बाद दुकानवार कम उठाई गई मात्रा की गणना करने का प्रावधान विभागीय वेबसाइट/एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) पर उपलब्ध हो, और प्रत्येक तिमाही के अंत में देय अतिरिक्त राशि के भुगतान के बाद ही किसी समूह/दुकान को अगला परमिट जारी किया जाए। यह भी निर्देशित किया गया था कि समय पर राजस्व वसूली सुनिश्चित करने हेतु आई.टी. अनुभाग आवश्यक प्रावधान करें।

अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य चार जिला आबकारी अधिकारियों[1] के कार्यालयों के वर्ष 2016-22 की अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2018-21 के दौरान, 503 अनुज्ञाधारियों में से 254 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की संबंधित तिमाही की तुलना में निर्धारित स्तर तक आईएमएफएल और बीयर के उठाव में वृद्धि नहीं की और इस प्रकार वे ₹ 9.75 करोड़ की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। इस कमी में से, ₹ 3.91 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित कर ली गई, तथापि शेष ₹ 5.84 करोड़ की राशि की वसूली विभाग नहीं कर सका। अतः नीति प्रावधानों को लागू करने तथा आबकारी आयुक्त के मौजूदा निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण ₹ 5.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने (सितंबर 2024) जवाब दिया कि ₹ 1.13 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, जिला आबकारी अधिकारी, डूँगरपुर के संबंध में यह बताया गया कि ₹ 4.65 करोड़ में से ₹ 2.21 करोड़ की राशि वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि मदिरा की कम उठाई गयी मात्रा की अतिरिक्त राशि की गणना दुकान के बजाय समूहवार की जानी थी और यदि समूह में एक से अधिक दुकाने है, तो मदिरा की कम उठाई गयी मात्रा की अतिरिक्त राशि की गणना समूहवार की जायेगी। उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि नीति के प्रावधानों के साथ आबकारी आयुक्त के निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कम उठाई गयी मदिरा की मात्रा पर अतिरिक्त राशि की गणना दुकानवार की जानी थी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.4 मासिक गारंटी राशि की कम वसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2019-20 एवं 2020-21 के अनुसार देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा के समूह/दुकानवार अनुज्ञापत्र एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए)[2] के आधार पर आवंटित किए गए थे। अनुज्ञाधारी को अपने अनुज्ञापत्र अवधि के लिए निर्धारित ईपीए की राशि देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में जमा करनी थी। इसके अलावा, खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित समूह/दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना आवश्यक था। मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम तारीख तक करना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में असमर्थ रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान नकद में करने के लिए उत्तरदायी था।

1 जिला आबकारी अधिकारी: चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर और जालोर।

2 ईपीए: निर्दिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार के लिए देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों/दुकानों से आबकारी विभाग द्वारा वसूली जाने वाली राशि को ईपीए कहा जाता है।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[3] के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-21[4] के दौरान कुल 1,058 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 481.06 करोड़ के समक्ष ₹ 455.31 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिससे 607 अनुज्ञाधारियों की मासिक गारंटी राशि में ₹ 25.75 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 13.99 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित कर ली गई। तथापि, विभाग शेष ₹ 11.76 करोड़ की राशि 388 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू न करने के कारण ₹ 11.76 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (अगस्त एवं सितंबर 2024) कि ₹ 2.12 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.5 देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2020-21 एवं देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त द्वारा फरवरी 2020 एवं फरवरी 2021 में जारी निर्देशों के अनुसार, देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारियों को मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) का न्यूनतम 30 प्रतिशत 25 यूपी[5] राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव से और शेष 70 प्रतिशत देशी मदिरा के उठाव से पूर्ण करना आवश्यक था। इसमें से न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा 50/60 यूपी देशी मदिरा की होनी चाहिए तथा शेष 60 प्रतिशत मात्रा 5 यूपी से 40 यूपी तक की देशी मदिरा की होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे सम्बन्धित तिमाही के अन्य माहों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा कि कुल तिमाही ईपीए की 30 प्रतिशत गारंटी राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क से, 28 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से और शेष 42 प्रतिशत गारंटी 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा से पूर्ण हो। किसी तिमाही में राजस्थान निर्मित मदिरा एवं 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित 30 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत से कम उठाव के मामले में अनुज्ञाधारी राजस्थान निर्मित मदिरा एवं 50/60 यूपी

---

3 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

4 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, डूंगरपुर (2019-20 और 2020-21), जालोर, बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (2020-21)।

5 यूपी 'अंडर प्रूफ' को संदर्भित करता है। यह एक अल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 50 डिग्री प्रूफ को 50 यूपी तथा 40 डिग्री प्रूफ को 60 यूपी के रूप में दर्शाया जा सकता है।

मदिरा के निर्धारित कोटे व वास्तविक उठाव पर देय आबकारी शुल्क व बेसिक लाईसेंस फीस के अंतर की राशि नकद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सात जिला आबकारी अधिकारियों[6] के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, 913 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाही में निर्धारित कोटा 112.89 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 158.04 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा के समक्ष केवल 105.84 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 153.78 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव किया। इस कारण तिमाही गारंटी कोटा में 7.05 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 4.26 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा की कमी रही, जिस पर 591 अनुज्ञाधारियों से ₹437.54 लाख की बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली की जानी थी। इसमें से ₹ 74.42 लाख की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित की गई, तथापि, विभाग शेष ₹ 363.12 लाख की राशि 456 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को लागू करने में कार्रवाई न करने के कारण ₹ 363.12 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई-अगस्त 2024)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त-सितंबर 2024) बताया कि ₹ 22.38 लाख की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.6 देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के अंतर राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2019-20 तथा देशी मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) का 40 प्रतिशत, 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूर्ण करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त, नीति 2020-21 एवं देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों[7] के अनुसार, देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को मासिक ईपीए का न्यूनतम 30 प्रतिशत भाग 25 यूपी राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा शेष 70 प्रतिशत भाग देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूरा करना था, जिसमें से न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा 50/60 यूपी देशी मदिरा की होगी और अधिकतम 60 प्रतिशत मात्रा 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा की होनी चाहिए।

---

6 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

7 दिनांक 26 फरवरी 2020 और 23 फरवरी 2021

यदि अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे संबंधित तिमाही के अन्य महीनों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा कि तिमाही के लिए कुल त्रैमासिक ईपीए में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा की तिमाही गारंटी का कोटा पूर्ण हो सके। यदि किसी तिमाही में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव निर्धारित कोटे से कम होता है तो अनुज्ञाधारी निर्धारित कोटा और वास्तविक उठाव के अंतर पर देय आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाइसेंस शुल्क की राशि का भुगतान नकद में करने के लिये उत्तरदायी था।

सात जिला आबकारी अधिकारियों[8] के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-21[9] के दौरान 1,248 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए निर्धारित ₹ 341.09 करोड़ के कोटे के समक्ष ₹327.85 करोड़ मूल्य की 50/60 यूपी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिसके कारण 614 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध तिमाही गारंटी कोटे में ₹ 13.24 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 1.44 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित की गई, तथापि, विभाग शेष ₹ 11.80 करोड़ की राशि 533 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को लागू करने हेतु कार्रवाई नहीं करने के कारण ₹ 11.80 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने (अगस्त 2024) जवाब दिया कि ₹0.58 करोड़ की वसूली/समायोजन कर लिया गया है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर के संबंध में यह कहा गया कि छः अनुज्ञाधारियों से ₹ 3.70 लाख की राशि वसूली योग्य नहीं है क्योंकि अनुज्ञापत्र की शर्तों में यह प्रावधान है कि प्रथम तिमाही में मदिरा के अधिक उठाव के समक्ष अनुज्ञाधारी को द्वितीय तिमाही में समायोजन दिया जा सकता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नीति, अनुज्ञापत्र की शर्तों या आबकारी आयुक्त के निर्देशों में वर्ष की अन्य तिमाहियों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित त्रैमासिक गारंटी कोटे में कमी की प्रथम तिमाही में मदिरा के अतिरिक्त उठाव की राशि के समायोजन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये संबंधित समायोजन आदेशों में, समायोजन वस्तुतः विशेष वेंड फीस की कमी के संबंध में था, तिमाही गारंटी कोटे में 50/60 यूपी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि के समायोजन के संबंध में नहीं था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

8 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

9 जिला आबकारी अधिकारी बारां, चूरू, डूंगरपुर (2019-20 और 2020-21), धौलपुर, जालोर, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (2020-21)।

5.7 मदिरा दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 के पैरा संख्या 4.2 तथा मदिरा दुकानों के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन से संबंधित आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों एवं शर्तों के पैरा संख्या 17.4 के अनुसार, मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को दुकान के लिए निर्धारित कम्पोजिट फीस[10] का 50 प्रतिशत 31 मार्च 2021 तक या दुकान प्रारंभ होने से पहले, जो भी पहले हो, का भुगतान करना अनिवार्य था तथा शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का अगले तीन महीनों में भुगतान किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस को बिना ब्याज जमा कराने की शिथिलता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई तथा इसे 17 जून 2021 के आदेश के माध्यम से 31 अगस्त 2021 तक और बाद में 5 फरवरी 2022 के आदेश के माध्यम से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया।

चार जिला आबकारी अधिकारियों[11] के अधीन रिटेल अनुज्ञाधारियों की कम्पोजिट फीस से संबंधित वर्ष 2021-22 की अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि 1081 अनुज्ञाधारियों में से 229 अनुज्ञाधारियों ने अपनी निर्धारित कम्पोजिट फीस ₹ 8.10 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 4.99 करोड़ की राशि जमा की और शेष कम्पोजिट फीस जमा किए बिना पूरे वर्ष 31 मार्च 2022 तक अपनी दुकानें संचालित करते रहे जिसके कारण 222 अनुज्ञाधारियों से ₹ 3.11 करोड़ की कम्पोजिट फीस की कम वसूली हुई। यह दर्शाता है कि विभाग ने शेष कम्पोजिट फीस की वसूली नहीं की और अनुज्ञाधारियों को उनकी दुकानों के संचालन में अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2024) कि ₹ 0.57 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.8 अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 28 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या अनुज्ञापत्र प्राप्त किसी भी डिस्टलरी ब्रेवरी या पोट-स्टिल में निर्मित किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर आबकारी शुल्क लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 15 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी ब्रेवरी में संग्रहीत किसी भी बीयर के आग या चोरी या माप-तौल या किसी अन्य दुर्घटना या कारण से नष्ट होने, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। नियमों के नियम 41 में यह प्रावधान है कि जब तक

10 कम्पोजिट फीसः यह शुल्क उन दुकानों पर लगाया जाता है जिन्हें सभी प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा, भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर विक्रय का अधिकार प्राप्त होता है।

11 जिला आबकारी अधिकारी बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत लगाए गए शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है या ब्रेवर द्वारा राज्य से बाहर बीयर के निर्यात हेतु बंध-पत्र (बॉन्ड) निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी बीयर को ब्रेवरी से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 की राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के पैरा 4.9.12 के अनुसार राज्य में बीयर की आपूर्ति हेतु 'उपयोग से पहले उत्तम' की अवधि छः माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई थी, और मद्य क्रय नीति[12] के पैरा 7.2 के अनुसार, बॉटलिंग की तिथि/माह से 225 दिन से अधिक पुराना कोई भी बीयर स्टॉक राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के क्षेत्राधिकार में आने वाली एक ब्रेवरी [13] के वर्ष 2021-23 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (नवंबर 2023) के दौरान यह पाया गया कि संबंधित ब्रेवर, निर्मित बीयर के 31,990 केसों को निर्माण की तिथि/माह (मार्च 2022 से नवंबर 2022) से एक वर्ष के भीतर प्रेषित करने में असफल रहा, जिससे वह बीयर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गई। अवधिपार बीयर पर देय आबकारी शुल्क का भुगतान ब्रेवर द्वारा नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा उस अवधिपार स्टॉक को नष्ट करने एवं संबंधित प्रावधानों के अनुसार आबकारी शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की गई।

इस प्रकार, अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही आबकारी विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा, विभाग द्वारा ऐसी बीयर को नष्ट करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अवधिपार बीयर स्टॉक ब्रेवरी में अवरुद्ध रहा और ऐसी बीयर के उपयोग के कारण किसी भी प्रकार की अनहोनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई एवं जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने (जून 2024) जवाब दिया कि संबंधित इकाई वर्तमान में उत्पादन के लिए बंद है और वे अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। तथापि, बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है (जून 2024) तथा शुल्क की वसूली/बीयर के निस्तारण से संबंधित कार्यवाही नोटिस के जवाब प्राप्त होने पर की जाएगी। राज्य सरकार ने आगे बताया (अगस्त 2024) कि संबंधित इकाई ने राजस्थान उच्च न्यायालय से वसूली पर स्थगन (जुलाई 2024) प्राप्त कर लिया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.9 अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन पर लगायी गयी शास्ति की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (अधिनियम) की धारा 34 (ग) एवं राजस्थान आबकारी नियम, 1956 (नियम) के नियम 76 (ग) के अनुसार, यदि कोई अनुज्ञाधारी या उसका सेवक

12 फरवरी 2021 में राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) द्वारा जारी।

13 जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ के अंतर्गत मैसर्स जीविया बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी।

अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या अधिनियम अथवा इसके तहत जारी किसी अधिसूचना, आदेश या नियम का उल्लंघन करता है, तो अनुज्ञा प्रदान करने वाला प्राधिकारी उस अनुज्ञापत्र को निरस्त या निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 58 (ग) अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त के उल्लंघन में जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के लिए शास्ति सहित प्रत्येक अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है और अधिनियम की धारा 70 आबकारी अधिकारियों को निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अधिकृत करती है ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के क्रमशः पैरा संख्या 15 एवं 14 तथा मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों की शर्त संख्या 26 में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय करने और निर्धारित समयसीमा के पश्चात दुकान खोलने पर अनुज्ञापत्र के निलंबन/निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 58 (ग) प्रावधानानुसार अनुज्ञा की शर्त का उल्लंघन है ।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[14] के अधीन पंजीकृत व शमन किये गये प्रकरणों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-23 के दौरान कुल 1,649 प्रकरण धारा 58 (ग) के अंतर्गत दर्ज किए गए । इनमें से 1,566 प्रकरणों में आबकारी आयुक्त या संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शास्ति/शमनीय राशि आरोपित कर शमन किया गया । इन प्रकरणों में शमन आदेशानुसार, यदि शमनीय राशि 15 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो धारा 34 (ग) एवं नियम 76 (ग) के तहत अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जानी थी ।

यह देखा गया कि इन 1,566 प्रकरणों में से केवल 1,339 प्रकरणों में ही शमनीय राशि जमा की गई, शेष 227 प्रकरणों में ₹ 74.73 लाख की राशि संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं कराई गई थी । संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने न तो बकाया राशि वसूल की और न ही शमन आदेशों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऐसे अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त किए तथा अनुज्ञाधारियों को बिना शास्ति का भुगतान किए व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी । अधिकांश प्रकरण एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा बेचने और निर्धारित समय के पश्चात् दुकान खोलने से संबंधित थे।

यद्यपि विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की प्रविष्टि आईईएमएस के 'ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण मॉड्यूल' में की गई थी एवं एफआईआर इसी ऑनलाइन मॉड्यूल से मुद्रित की गई, लेकिन प्रकरणों के निपटान के संबंध में आगे की कार्यवाही को इस मॉड्यूल में अद्यतन नहीं किया गया, जिससे विभागीय अधिकारियों की प्रकरणों के निपटान एवं राशि ₹ 74.73 लाख की शास्ति की वसूली पर नियंत्रण में कमी इंगित होती है ।

14 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर ।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने (अगस्त 2024) जवाब दिया कि ₹ 8.15 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.10 वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की वसूली का अभाव

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 तथा मदिरा की रिटेल बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए अनुज्ञाधारी की वार्षिक गारंटी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया था। मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को 14 मार्च 2022 तक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत राशि जमा करानी थी अथवा यदि दुकान का आवंटन ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से किया गया हो, तो यह राशि नीलामी की शर्तों में निर्धारित तिथि तक जमा करनी थी। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित वर्ष की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में समान किश्तों में करना था। यदि अनुज्ञाधारी वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर निर्धारित तिमाही गारंटी राशि पूर्ण कर लेता है, तो वह वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 50% राशि के समक्ष मदिरा का उठाव कर सकता था।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2023 में आबकारी आयुक्त द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अनुज्ञाधारियों की तृतीय तिमाही तक की शेष वार्षिक अनुज्ञा शुल्क राशि नकद जमा करके या 15 फरवरी 2023 तक मदिरा का उठाव कर तक पूर्ण की जा सकती है।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[15] के अधीन रिटेल अनुज्ञाधारियों से संबंधित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2022-23 में 1,799 अनुज्ञाधारियों ने अपने निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क राशि ₹ 91.85 करोड़ के समक्ष ₹ 90.93 करोड़ वार्षिक अनुज्ञा शुल्क जमा कराया, जिसके कारण 51 अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध ₹0.92 करोड़ के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इसके अलावा, जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की जमा वार्षिक अनुज्ञा शुल्क किश्तों में से ₹ 14.86 करोड़ अनुज्ञाधिकारियों को मदिरा उठाव हेतु जारी किए, जबकि संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा ₹ 14.08 करोड़ मूल्य की ही मदिरा का उठाव किया गया, जिससे 78 अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध ₹ 0.78 करोड़ के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इस प्रकार कुल 129 अनुज्ञाधारियों के समक्ष ₹ 1.70 करोड़ वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इस कमी में से ₹ 0.19 करोड़ की वसूली या समायोजन अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से किया गया। तथापि, विभाग 106 अनुज्ञाधारियों से शेष ₹ 1.51 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने जवाब

15 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

दिया (सितम्बर 2024) कि ₹ 0.14 करोड़ की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.11 मदिरा के वार्षिक गारंटी कोटा के कम उठाव पर आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अनुसार देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के अनुज्ञापत्र ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करके अधिकतम मूल्य के अनुसार प्राप्त वार्षिक गारंटी राशि पर आवंटित किए गए थे। इन कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञाधारी, वार्षिक गारंटी राशि की राशि, आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क के रूप में भुगतान हेतु उत्तरदायी थी। इसके अलावा, नीति के विस्तृत निर्देशों और शर्तों[16] में वर्ष 2021-22 के लिए मदिरा उठाव का अनुपात का प्रावधान किया गया है।

16 अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल वार्षिक गारंटी राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से और शेष 50 प्रतिशत देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूर्ण करना था, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा 60 प्रतिशत 40 यूपी देशी मदिरा से की गई मात्रा से पूरा करना था।

- यदि किसी माह विशेष में अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित गारंटी अनुपात के अनुसार देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा पूरी नहीं की जाती है, तो उसे संबंधित त्रैमास के अन्य महीनों में देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का इस प्रकार उठाव सुनिश्चित करना था कि देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल त्रैमासिक वार्षिक गारंटी राशि की 50 प्रतिशत गारंटी राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क से, 20 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से, तथा शेष 30 प्रतिशत गारंटी 5 यूपी से 40 यूपी तक की देशी मदिरा की मात्रा से पूरी की जानी थी।
- यदि निर्धारित अनुपात के अनुसार त्रैमासिक गारंटी राशि (त्रैमासिक एमआरपी के बराबर) के समक्ष मदिरा का कम उठाव किया है तो अनुज्ञाधारी को वांछित कोटा और वास्तविक उठाई गई मदिरा के आधार पर देय आबकारी शुल्क और बेसिक लाइसेंस फीस के अंतर की राशि नकद में जमा करनी थी।
- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव में छूट दी गई थी, जिसके अंतर्गत अनुज्ञाधारियों के पास देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल वार्षिक गारंटी राशि के 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 35 प्रतिशत को राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा शेष 15 प्रतिशत देशी मदिरा (दिनांक 09 सितंबर 2021 से प्रभावी) या आईएमएफएल (दिनांक 02 दिसंबर 2021 से प्रभावी) की उठाई गई मात्रा से पूरा करने का विकल्प था। इसके अलावा, पहली तिमाही में मदिरा के अतिरिक्त उठाव को दूसरी और तीसरी तिमाही की कमी के समक्ष समायोजित करने की अनुमति दी गई तथा पहली और दूसरी तिमाही की कमी को तीसरी तिमाही में उठाव करके पूरा करने की छूट भी प्रदान की गई। इसके अलावा, सरकार द्वारा (दिनांक 28 मार्च 2022) यह छूट भी प्रदान की गई कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की कमी को मार्च 2022 तक मदिरा के उठाव द्वारा पूरा किया जा सकता था।

इसी प्रकार, नीति और शर्तों[17] में वर्ष 2022-23 के लिए मदिरा उठाव के अनुपात का प्रावधान किया गया है।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[18] के कार्यालयों के अभिलेखों, ईपीए रिपोर्ट, और आईईएमएस (राज्य आबकारी विभाग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली) से डाउनलोड किए गए दुकानों के गारंटी डाटा एवं जिला आबकारी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी सहित लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-23 के दौरान 2,885 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए निर्धारित ₹ 2,772.85 करोड़ के कोटे के समक्ष ₹ 2,566.19 करोड़ की मदिरा का ही उठाव किया, जिसके परिणामस्वरूप 1,744 अनुज्ञाधारियों की वार्षिक गारंटी राशि में ₹ 206.66 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 43.29 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल या समायोजित की गई। तथापि, विभाग 1,138 अनुज्ञाधारियों से शेष ₹ 163.37 करोड़ की गारंटी राशि की वसूली नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 5.2** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.2: वार्षिक गारंटी राशि की वसूली में कमी

वर्ष	कुल अनुज्ञाधारी	निर्धारित कोटा (₹ करोड़ में)	उठाई गई मदिरा (₹ करोड़ में)	कमी राशि (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष राशि (₹ करोड़ में)
2021-22	1,086 (चार[19] जिला आबकारी अधिकारियों के अन्तर्गत के अंतर्गत)	951.85	803.90	147.95	937	35.97	665	111.98

17 अनुज्ञाधारियों को कुल देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) की वार्षिक गारन्टी राशि की न्यूनतम 30 *प्रतिशत* राशि की पूर्ति राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गयी मात्रा से तथा शेष 70 प्रतिशत वार्षिक गारन्टी राशि की न्यूनतम 40 प्रतिशत राशि की पूर्ति 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गयी मात्रा से सुनिश्चित करनी थी।

- यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में उपर्युक्त निर्धारित गारंटी अनुपात की पूर्ति करने में विफल रहता है तो उसे संबंधित तिमाही के अन्य महीनों में इस प्रकार मदिरा का उठाव सुनिश्चित करना था कि कुल त्रैमासिक देशी मदिरा की वार्षिक गारंटी राशि (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) का 30 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा पर लगने वाले आबकारी शुल्क से तथा 28 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से पूरी की जा सके।
- यदि त्रैमासिक गारंटी राशि (त्रैमासिक एमआरपी के बराबर) के निर्धारित अनुपात के समक्ष मदिरा के उठाव के मामले में अनुज्ञाधारी को वांछित कोटा और वास्तविक उठाव के बीच के अंतर की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस नकद में जमा करानी थी।
- इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त (20 जुलाई 2022) द्वारा प्रथम त्रैमास की कमी को 30 जुलाई 2022 तक मदिरा उठाव कर पूरा करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, आबकारी आयुक्त (30 जनवरी 2023) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की कमी को 15 फरवरी 2023 तक मदिरा उठाव कर पूरा करने की छूट दी गई थी।

18 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

19 जिला आबकारी अधिकारी बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

वर्ष	कुल अनुज्ञाधारी	निर्धारित कोटा (₹ करोड़ में)	उठाई गई मदिरा (₹ करोड़ में)	कमी राशि (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष राशि (₹ करोड़ में)
2022-23	1,799 (छः[20] जिला आबकारी अधिकारियों के अन्तर्गत के अंतर्गत	1,821.00	1,762.29	58.71	807	7.32	473	51.39
कुल	**2885**	**2772.85**	**2566.19**	**206.66**	**1744**	**43.29**	**1138**	**163.37**

इसके अतिरिक्त, ₹ 206.66 करोड़ की वार्षिक गारंटी राशि की कमी में ₹ 32.47 करोड़ की राजस्थान निर्मित मदिरा, ₹ 14.06 करोड़ की 50/60 यूपी देशी मदिरा और ₹ 41.55 करोड़ की 40 यूपी देशी मदिरा की कमी सम्मिलित थी जिस पर 1,487 अनुज्ञाधारियों से ₹ 45.55 करोड़ की बेसिक लाइसेंस फीस देय थी। इस कमी में से ₹ 2.13 करोड़ वसूल या जमानत राशि से समायोजित किये गये। तथापि, विभाग 1,073 अनुज्ञाधारियों से ₹ 43.42 करोड़ की शेष बेसिक लाइसेंस फीस की राशि की वसूली नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 5.3** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.3: बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली में कमी

वर्ष	गारंटी राशि में कमी(निर्धारित कोटा और मदिरा उठाव के बीच का अंतर) (₹ करोड़ में)					राजस्थान निर्मित मदिरा और देशी मदिरा पर देय कुल बेसिक लाइसेंस फीस राशि। (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष बेसिक लाइसेंस फीस की राशि (₹ करोड़ में)
	कुल कमी	आईएमएफएल	आरएमएल	50/60 यूपी देशी मदिरा	40 यूपी देशी मदिरा					
2021-22	147.95	83.76	23.03	9.61	31.55	34.16	862	1.59	676	32.57
2022-23	58.71	34.82	09.44	4.45	10.00	11.39	625	0.54	397	10.85
कुल	**206.66**	**118.58**	**32.47**	**14.06**	**41.55**	**45.55**	**1487**	**2.13**	**1073**	**43.42**

अतः नीति और लाइसेंस की शर्तों के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 206.79 करोड़ की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2024) कि ₹ 163.37 करोड़ के समक्ष ₹ 3.72 करोड़ गारंटी राशि तथा ₹ 43.42 करोड़ के समक्ष ₹ 0.55 करोड़ बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली की जा चुकी है। यह भी बताया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

20 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।